**भारत सरकार**

**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3482**

**10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: नए मंत्रालय का सृजन**

**3482. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:**

**क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार नए सहकारिता मंत्रालय के सृजन के संबंध में राज्यों की चिंताओं से अवगत है;

(ख) उक्त मंत्रालय बनाने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार राज्यों से विचार-विमर्श किए बिना राज्य सूची के विषय 'सहकारिता' का अतिक्रमण कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

**(क) और (ख):** सरकार की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन/विलय/सृजन किया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय को कार्य आवंटित किए गए हैं जिनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ग):** जी, नहीं।

**लो.स.अता.प्र.सं.3482**

**अनुबंध-।**

(i.) सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय करना।

नोट: संबंधित मंत्रालय इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए उत्तरदायी हैं।

(ii.) ''सहकारिता से समृद्धि की ओर'' विजन को प्राप्त करना।

(iii.) देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को और अधिक बढ़ाना।

(iv.) देश के विकास के लिए सहकारी समिति के सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भावना सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल संवर्धन।

(v.) सहकारी समितियों को उनकी क्षमता प्राप्त करने में मदद करने में उपर्युक्त नीति, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना।

(vi.) राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामलें।

(vii.) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(viii.)'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित किसी राज्य को सीमाबद्ध ना करते हुए सहकारी समितियों का समामेलन, विनियमन और समापन:

बशर्ते की इनके नियंत्रणाधीन काम कर रहीं सहकारी इकाईयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

(ix.) सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों (सदस्यों, पदधारियों और गैर सरकारी व्यक्तियों के शिक्षण सहित) कार्मिकों का प्रशिक्षण।

*****